नम्बर व तारीख
जो इस हुक्म
में जारी

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– रामरतन सौंकरिया असीजा आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 01/2019

अनवानः–

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट नि0 नुकेरा तह0 संगरिया
2. दलीप पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी नुकेरा तह0 संगरिया

अपीलांट्स

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह0 सगरिया

असल रेस्पोडेंट

2. परमेश्वरी देवी पत्नि स्व0 भजनगिर पुत्र स्व0 शेरगिर जाति गुंसाई निवासी नुकेरा तह0 संगरिया।
3. भूपसिंह पुत्र स्व0 भजनगिर पुत्र स्व0 शेरगिर जाति गुंसाई निवासी नुकेरा।
4. आत्माराम पुत्र स्व0 भजनगिर पुत्र स्व0 शेरगिर जाति गुंसाई निवासी नुकेरा।
5. संतोष देवी पत्नि स्व0 मनीराम पुत्र स्व0 भजनगिर जाति गुंसाई निवासी नुकेरा।
6. मंजूदेवी पुत्री स्व0 मनीराम पुत्र भजनगिर जाति गुंसाई निवासी नुकेरा।
7. सुमन पुत्री स्व0 मनीराम पुत्र भजनगिर जाति गुंसाई निवासी नुकेरा।
8. मोनिका पुत्री स्व0 मनीराम पुत्र भजनगिर जाति गुंसाई निवासी नुकेरा।
9. संदीप कुमार पुत्र स्व0 मनीराम पुत्र भजनगिर जाति गुंसाई निवासी नुकेरा।
10. पालगिर पुत्र स्व0 शेरसिंह जाति गुंसाई निवासी नुकेरा तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ।

तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध ईन्तकाल आदेश दिनांक 16.04.2003 जिसकी रूह से चक 1 आईडीजी के खाता सं0 49/33 की 7.843 हैक्टेयर में से ईन्तकाल सं0 291 के जरिये 5.060 है0 भूमि माफी मंदिर के नाम दर्ज की गई, बमुराद अपास्त किये जाने उक्त ईन्तकाल व स्वीकार किये जाने उक्त अपील।

उपस्थितः–

1. श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक प्रार्थीयान।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़, राजकीय अभिभाषक।
3. अप्रार्थी सं0 02 ता 10 अनुपस्थित।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (मुहर)

:–निर्णयः–

दिनांकः–20.09.2021

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

अपील अपीलांट्स इस प्रकार है कि गांव नुकेरा में स्व0 शेरगिर वल्द नत्थुदास गुंसाई की मौरूसी भूमि थी। शेरगिर के पूर्वज गांव के पुजारी थे तथा गांव में स्थित मन्दिर गौसाईजी की सेवा पूजा अर्चना करते थे। उक्त सेवा पूजा की एवज में तत्कालीन बीकानेर रियासत ने स्व0 शेरगिर के पूर्वजों की उक्त भूमि का लगान बएवज खिदमत मन्दिर माफ किया तथा यह भूमि रजिस्टर माफियात में स्व0 शेरगिर के पूर्वजों के नाम माफी मन्दिर के रूप में दर्ज हुई। प्रश्नगत भूमि मन्दिर गौसाईजी की मौरूसी अथवा खातेदारी भूमि नहीं थी। उपनिवेशन विभाग द्वारा मुरब्बाबन्दी के दौरान यह 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि चक 1 आईडीजी तह0 संगरिया में 50 बीघा में पैमूद हुई तथा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम सन 1952 के प्रभावशील होने पर डिप्टी कलैक्टर (जागीर) श्रीगंगानगर ने निर्णय दिनांक 02.11.1961 के अंतर्गत धारा 23 के अनुसार निजी सम्पति घोषित की गई। यह भूमि चक 1 आईडीजी तह0 संगरिया के खाता सं0 49/54 में 31.00 बीघा (7.843 है0) व खाता सं0 50/55 में 19.00 बीघा (4.807 है0) पैमुद हुई।

स्व0 शेरगिर पुत्र नत्थुदास के देहान्त उपरान्त दोनों खातों की भूमि उसके तीन पुत्रों भजनगिर, बहादरगिर व पालगिर के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। बहादरगिर पुत्र

शेरगिर का चक 1 आईडीजी के खाता सं0 49/54 तादादी 7.843 है0 में 1/3 हिस्सा अर्थात 2.614 है0 था व खाता सं0 50/55 तादादी 4.807 है0 में 1/3 हिस्सा अर्थात 1.602 है0 था। बहादरगिर पुत्र शेरगिर ने खाता सं0 49/54 में अपने 2.614 है0 में से 0.508 है0 अपीलांट सं0 01 को व 2.108 है0 अपीलांट सं0 02 को विक्रय की तथा खाता सं0 50/55 में अपने 1.602 है0 अपीलांट सं0 01 को दिनांक 24.05.99 को विक्रय की। इन बैयनामों के आधार पर अपीलांट का नाम मुताबिक खरीद चक 1 आईडीजी के उक्त दोनो खातों मे दर्ज हो गया। स्व0 भजगिर का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान रेस्पोडेंट सं0 2 से 9 व पालगिर पुत्र शेरगिर रेस्पोडेंट सं0 10 है।

श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ ने राज्य सरकार के आदेश की पालना में एक आदेश क्रमांक प.12(12)(35)राज./97/396–402 दिनांक 26.03.2003 पारित किया जिसके अंतर्गत मन्दिर की भूमि जो पुजारियों ने अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर करवा ली थी, को वापिस मन्दिर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिया। इस आदेश के आधार पर अपीलाधीन ईन्तकाल दिनांक 16.04.2003 को दर्ज हुआ। परन्तु राज्य सरकार के आदेश में यह उल्लेख नहीं था किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री अथवा आदेश के किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हो, वे खातेदारी अधिकार उक्त आदेश के अनुसरण में समाप्त किये जा सकते हों। जिला कलक्टर हनुमानगढ के उक्त आदेश दिनाक 26.03.2003 में वाक्यांश "डिक्री" गलत रूप से दर्ज हो गया था तथा इस त्रुटि को मा0 जिला कलक्टर ने अपने आदेश क्रमांक प.12(12)(35)राज./97/335–342 दिनांक 28.04.2003 के अंतर्गत दुरूस्त भी कर दिया था। इस कारण उक्त आदेश दिनांक 26.03.2003 प्रश्नगत भूमि पर लागू नहीं होता था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश दिनांक 26.03.2003 जो कालान्तर में दिनांक 28.04.2003 को दुरूस्त किया जा चुका था, के आधार पर अपीलाधीन ईन्तकाल सं0 291 दर्ज कर चक 1 आईडीजी के खाता सं0 49/54 तादादी 7.843 है0 में से 5.060 है0 भूमि माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने के एक पक्षीय आदेश पारित कर दिये तथा इस आदेश के अंतर्गत इस खाता की भूमि में से पत्थर नं0 148/125(36) के किला नं0 25 प0नं0 149/126(46) के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 18 से 22 व पत्थर नं0 148/126 (47) के किला नं0 5,6,15,16,17 कुल 20 बीघा भूमि माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने के आदेश दिये तथा परिणामस्वरूप उक्त सम्पूर्ण खाता सं0 49/54 तादादी 7.843 है0 में से 0.506 है0 भूमि माफी मन्दिर के नाम से दर्ज करते हुये अलग खाता कायम कर दिया व शेष 2.783 है0 अर्थात 11 बीघा का खाता अलग कायम कर दिया। उक्त सम्पूर्ण खाता तादादी 7.843 है0 भूमि में अपीलांट सं0 01 का 0.506 है0 व अपीलांट सं0 02 का 2.108 है0 हिस्सा दर्ज चला आ रहा था लेकिन अपीलाधीन ईन्तकाल आदेश से इस खाता में से 5.060 है0 भूमि अपीलाधीन ईन्तकाल के जरिये माफी मन्दिर की दर्ज कर दिये जाने से अपीलांट्स सारवान रूप से एवं विपरीत रूप से प्रभावित हुये है। इस कारण बतौर तृतीय पक्षकार यह अपील प्रस्तुत कर रहें है तथा अपील प्रस्तुत किये जाने के लिये अनुमति प्रदत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाब्ता दीवानी पृथक से प्रस्तुत है। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट सं0 2 से 10 का हित एक समान है। इस कारण इस अपील में उन्हे बतौर तरतीबी रेस्पोडेंट पक्षकार बनाया जा रहा है। अपीलांट्स अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.04.2003 जिसके अंतर्गत चक 1 आईडीजी का ईन्तकाल सं0 291 दर्ज होकर तस्दीक हुआ है, को अपास्त किये जाने हेतु यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर रहे है।

अधीनस्थ न्यायालय ने यह ईन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व इस भूमि के खातेदारान को सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिया। अपीलाधीन ईन्तकाल के अंतर्गत जो 20 बीघा भूमि माफी मन्दिर दर्ज की गई है। मन्दिर ठाकुर जी की खातेदारी भूमि नहीं था, अपितु रेस्पोडेंट सं0 02 से 10 के पूर्वजों की मौरूसी भूमि थी तथा बीकानेर रियासत ने रेस्पोडेंट सं0 02 से 10 के पूर्वजों द्वारा मन्दिर की सेवा पूजा व अर्चना करने की एवज में उनकी उक्त भूमि का लगान माफ किया हुआ था तथा इस कारण राजस्व अभिलेख में यह भूमि माफी मन्दिर दर्ज थी। बीकानेर रियसासत काल में Village Servant अर्थात नाई, कोटवाल, पुजारी को गांव की सेवा करने के प्रतिफलस्वरूप उनकी भूमि का लगान माफ किया था तथा उनकी भूमि रजिस्टर माफियात में दर्ज होकर सक्षम अधिकारी द्वारा लगान माफी किया गया था तथा परिणामस्वरूप उनकी भूमि माफी नाई, माफी कोटवाल व माफी

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

कोटवाल व माफी मन्दिर के नाम से दर्ज होती थी। प्रश्नगत भूमि का मन्दिर की सेवा पूजा की एवज मे लगान माफ होने के कारण माफी मन्दिर थी तथा राजस्थान भूमि सुधार एव पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के लागू होने पर उक्त भूमि उक्त अधिनियम की धारा 2 (H) के अनुसार जागीर भूमि थी तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 व 10 के अनुसार रेस्पोडेंट स0 2 से 10 पूर्वजों की खुदकाश्त होने से सक्षम न्यायालय डिप्टी कलक्टर (जागीर) श्रीगंगानगर ने उक्त अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत दिनांक 02.11.1961 को यह भूमि उनकी निजी सम्पति घोषित की।

स्व0 शेरगिर की कुल 50 बीघा भूमि डिप्टी कलक्टर (जागीर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 02.11.1961 के जरिये राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज हो चुकी थी लेकिन भू–प्रबंध विभाग ने उक्त 50 बीघा भूमि में से 20 बीघा भूमि गैरखातेदारी दर्ज कर दी। कालान्तर मे राज्य सरकार ने शेरगिर की उक्त भूमि के संबंध में मा0 न्यायालय के समक्ष एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र सं0 11/96 शीर्षक "सरकार बनाम शेरगिर" प्रस्तुत किया। मा0 न्यायालय ने यह भूमि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 23(2) के तहत खातेदारी प्रदत होने से यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र गुणावगुणों पर दिनांक 07.04.1999 को खारिज फरमाया।

प्रश्नगत कुल 48 बीघा 10 बिस्वा जो चकबंदी में 50 बीघा में पैमूद हुई, के सबध मे उक्त आदेश दिनांक 02.11.1961 की मौजूदगी में श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ का कथित आदेश क्रमांक प.12(12)(35)राज./97/396–402 दिनांक 26.03.2003 प्रश्नगत भूमि पर प्रभावी नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश की गलत व अनुचित व मनमाना तौर पर व्याख्या की है। श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ के उक्त आदेश दिनांक 26.03.2003 में पश्चातवर्ती आदेश क्रमांक प.12(12)(35)राज./97/335–342 दिनांक 28.04.2003 के जरिये "डिक्री" शब्द को विलोपित किया जा चुका था तथा प्रश्नगत भूमि सक्षम न्यायालय के आदेश से खातेदारी घोषित होने से इस भूमि में से अपीलाधीन ईन्तकाल के जरिये 20 बीघा भूमि मन्दिर माफी के नाम से दर्ज किया जाना कतई गलत व विधि विरूद्ध था।

राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक 3(2) राज.–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 व मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश क्रमांक रा.म./प–63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 के मुताबिक भी माफी मन्दिर की भूमि पुनः मन्दिर के नाम दर्ज नहीं की जा सकती बल्कि यह भूमि ऐसे माफीदारों की निरन्तर खातेदारी के रूप में दर्ज रहेगी।

अधीनस्थ न्यायालय ने श्रीमान जिला कलक्टर के उक्त आदेश दिनांक 26.03.2003 की पालना में बिना सुनवाई अपीलाधीन ईन्तकाल स्वीकृत किया है जबकि उक्त आदेश दिनांक 26.03.2003 में वाक्यांश "डिक्री" को दिनांक 28.04.2003 को पृथक से आदेश पारित करते हुए विलोपित किया जा चुका था। इस पश्चातवर्ती आदेश के अनुसरण में यह ईन्तकाल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी स्वप्रेरणा से निरस्त कर दिया जाना चाहिए था। इस ईन्तकाल के आधार पर चक 1 आईडीजी के खाता सं0 49/54 तादादी 7.843 है0 में से 5.060 है0 माफी मन्दिर के नाम दर्ज कर अलग अलग खाता कायम कर दिया लेकिन खाता सं0 49/54 की जमाबंदी के कॉलम 04 में हिस्साकस्सी यथावत रखी। अपीलांट ने दिनांक 05.08.2020 को चक 1 आईडीजी के वर्तमान खाता स0 48/51 सवत 2073–2076 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तब यह देखकर आश्चर्यचकित रह गये कि उक्त खाता 7.843 है0 न होकर सिर्फ 2.783 है0 अर्थात 11 बीघा का ही है तथा इस खाता मे से 20 बीघा भूमि निकल चुकी है। तब पड़ताल करने पर अपीलांट को मालुम हुआ कि यह 20 बीघा भूमि अपीलाधीन आदेश के जरिये माफी मन्दिर के नाम से दर्ज होकर अलग खाता कायम किया जा चुका है। अपीलांट्स को उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होने पर आवश्यक दस्तावेज हासिल कर यह अपील ज्ञान के दिवस से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है तथा 16.04.2003 से लेकर दिनांक 05.08.2020 तक की अवधि को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। रेस्पो0 सं0 02 से 10 का हित अपीलांट के समान है इसलिए उन्हे तरतीबी रेस्पोडेंट बनाया जा रहा है वे चाहे तो बतौर अपीलांट पक्षान्तरित हो सकते है। अतः अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

आदेश 16.04.2004 जिसके अंतर्गत चक 1 आईडीजी तह0 संगरिया का ईन्तकाल सं0 291 दर्ज फरमाया गया है, को अपास्त फरमाया जावे व राजस्व अभिलेख की पूर्व की स्थिति बहाल करने करने आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट 02 से 10 की अनुपस्थिति दर्ज की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपील के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने अपीलाधीन ईन्तकाल सं0 291 दर्ज कर चक 1 आईडीजी के खाता सं0 49/54 तादादी 7.843 है0 में से 5.060 है0 भूमि माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने का एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया तथा इस आदेश के अंतर्गत इस खाता की भूमि में से पत्थर नं0 148/125(36) के किला नं0 25 प0नं0 149/126(46) के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 18 से 22 व पत्थर नं0 148/126 (47) के किला नं0 5,6,15,16,17 कुल 20 बीघा भूमि माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने का आदेश दिया तथा परिणामस्वरूप उक्त सम्पूर्ण खाता सं0 49/54 तादादी 7.843 है0 में से 0.506 है0 भूमि माफी मन्दिर के नाम से दर्ज करते हुये अलग खाता कायम कर दिया व शेष 2.783 है0 अर्थात 11 बीघा का खाता अलग कायम कर दिया। उक्त सम्पूर्ण खाता तादादी 7.843 है0 भूमि में अपीलांट सं0 01 का 0.506 है0 व अपीलांट सं0 02 का 2.108 है0 हिस्सा दर्ज चला आ रहा था लेकिन अपीलाधीन ईन्तकाल आदेश से इस खाता में से 5.060 है0 भूमि अपीलाधीन ईन्तकाल के जरिये माफी मन्दिर की दर्ज कर दिये जाने से अपीलांट्स सारवान रूप से एवं विपरीत रूप से प्रभावित हुये है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा अपील पेश कर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह0 संगरिया द्वारा अपीलाधीन आदेश 16.04.2004 जिसके अंतर्गत चक 1 आईडीजी तह0 संगरिया का ईन्तकाल सं0 291 दर्ज फरमाया गया है, को निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया। *अभिभाषक प्रार्थीयान ने अपनी बहस के प्रक्रम में आरआरडी 1994 पेज 486 न्यायिक दृष्टांत पेश किया।*

इसके विपरीत विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन ईन्तकाल आदेश को विधिसम्मत् बताते हुये अपीलांट की अपील खारिज करने का निवेदन किया। प्रश्नगत भूमि स्व0 शेरगिर के पूर्वजों को मंदिर की सेवा पूजा की एवज में लगान माफ नहीं थी बल्कि मन्दिर जी भूमि थी। जिला कलक्टर महादेय के आदेश के अनुसरण में यह ईन्तकाल विधिसम्मत दर्ज हुआ है। अपीलांट को यदि जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 26.03.2003 से कोई नाराजगी है तो इस आदेश के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये थी। अपील मियाद बाहर होने से अपील खारिज करने का निवदेन किया।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया व प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है। अपीलाधीन ईन्तकाल आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 26.03.2003 की पालना में रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने दिनांक 16.04.2003 को यह भूमि माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है। पत्रावली पर यह ईन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट अथवा रेस्पोडेन्ट सं0 02 से 10 को नोटिस जारी किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है। अपीलान्ट ने अपीलाधीन ईन्तकाल का दिनांक 05.08.2020 को ज्ञान होने पर इस ईन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 10.08.2020 को प्राप्त कर व अन्य जमाबंदियों की नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है तथा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त तथ्यों के खण्डन में रेस्पोडेन्ट ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य से अपीलान्ट को अपीलाधीन ईन्तकाल का ज्ञान सर्वप्रथम निांक 05.08.2020 को होना साबित है तथा ज्ञान के दिवस से यह अपील अन्दर मियाद ग्रहण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जहां तक गुणावगुणों पर विचार किया जावे तो सम्पूर्ण मामले पर गौर करने पर पाया कि प्रश्नगत भूमि माफी मन्दिर की थी तथा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 23(2) के अंतर्गत प्रश्नगत भूमि के खातेदारी अधिकार दिनांक 02.11.1961 को प्रदत्त किये गये लेकिन भू-प्रबन्ध विभाग ने कतई गलत व विधि

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

विरूद्ध रूप से उक्त 50 बीघा भूमि में से 20 बीघा भूमि गैरखातेदारी दर्ज कर दी। इस प्रविष्टि को स्व0 शेरगिर ने न्यायालय सहायक जिलाधीश हनुमानगढ के समक्ष राजस्व वाद मे चुनौती दी तथा इस वादपत्र में दिनांक 30.06.1981 को निर्णय होकर यह 20 बीघा भूमि शेरगिर की खातेदारी घोषित की गई। कालान्तर में राज्य सरकार ने शेरगिर की उक्त भूमि के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष रेफरेंस प्रार्थना पत्र सं0 11/96 भी प्रस्तुत किया तथा यह भूमि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 23(2) के अंतर्गत खातेदारी प्रदत्त होने से यह रैफरेंस प्रार्थना पत्र दिनांक 07.04.1999 को खारिज हुआ। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 02 से 10 के पूर्वजों की भूमि थी जो मन्दिर की सेवा पूजा की एवज में लगान माफ थी तथा जागीर पुनर्ग्रहण होने पर सक्षम न्यायालय के आदेश से यह भूमि रेस्पोडेंट सं0 02 से 10 की खातेदारी दर्ज हुई। जहां तक विद्वान राजकीय अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट को जिला कलक्टर हनुमागनढ के आदेश दिनांक 26.03.2003 के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये, से हम सहमत नहीं है क्योंकि उक्त आदेश दिनांक 26.03.2003 को जिला कलक्टर महोदय ने अपने आदेश क्रमांक प.12(12)(35)राज/96/दिनांक 28.04.2003 के अंतर्गत दुरूस्त कर दिया तथा वाक्यांश "डिक्री" को विलोपित किया गया है। आदेश दिनांक 28.04.2003 के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय के आदेश से प्रदत्त खातेदारी अधिकारों को आदेश दिनांक 26.03.2003 के अंतर्गत समाप्त नहीं किया जा सकता। चूंकि आदेश दिनांक 26.03.2003 संशोधित हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त आदेश दिनांक 26.03.2003 को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है तथा एक ऐसा आदेश जो निरस्त हो चुका है, के आधार पर दर्ज ईन्तकाल को अपील में चुनौती दी जा सकती है। इस संबंध मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत आरआरडी 1994 पृष्ठ 486 व आरआरडी 1985 पुष्ट 572 से बल मिलता है। विवेचना अनुसार अपीलाधीन ईन्तकाल आदेश 16.03.2003 विधिसम्मत नहीं है तथा अपास्त होने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन ईन्तकाल आदेश 16.04.2004 जिसके अंतर्गत चक 1 आईडीजी के खाता सं0 49/63 की 7.843 हैक्टेयर में से ईन्तकाल सं0 291 के जरिये 5.060 हैक्टेयर भूमि माफी मन्दिर के नाम दर्ज की गई है, को निरस्त किया जाता है तथा पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अपर जिला कलक्टर
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)